भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4521

उत्तर देने की तारीख 27.03.2025

एमएसई-एसपीआईसीई योजना

4521. श्री हरीभाई पटेल:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को 'सर्कुलर इकोनॉमी' समाधान अपनाने में सक्षम बनाने के लिए एमएसई-एसपीआईसीई योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना के अंतर्गत उद्देश्यों, लक्षित क्षेत्रों और रणनीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है तथा एमएसएमई क्षेत्र को कितना लाभ मिलने की उम्मीद है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत अब तक कितने एमएसई को सहायता दी गई है तथा मार्च 2025 तक इस पर कुल कितना व्यय हुआ है ;और

(ङ) क्या सरकार ने प्लास्टिक, रबड़ और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट जैसे प्रमुख क्षेत्रों में पुनर्चक्रण और संसाधन पुनर्प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट पहलों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): भारत सरकार ने उद्यम पंजीकृत सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को प्लास्टिक, रबड़, इलेक्ट्रॉनिक्स अपशिष्ट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट और तरल अपशिष्ट, संपीड़ित बायोगैस, एंड-टू-लाइफ वाहन, स्क्रैप धातु-लौह और अलौह, सौर पैनल, जिप्सम, विषाक्त, खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट, प्रयुक्त तेल अपशिष्ट जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए चक्रीय अर्थव्यवस्था समाधानों को अपनाने में सक्षम बनाने हेतु चक्रीय अर्थव्यवस्था में संवर्धन और निवेश के लिए एमएसई - स्कीम (एमएसई-स्पाइस) का शुभारंभ किया ताकि उद्योगों और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लक्ष्यों के लिए निर्धारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) और अपशिष्ट पुनर्चक्रण लक्ष्यों का अनुपालन किया जा सके और परिचालन दक्षता में सुधार किया जा सके। एमएसई- स्पाइस स्कीम के अंतर्गत ऋण का आकार परियोजना लागत के आधार पर अलग-अलग होता है। एमएसई में ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के लिए, स्कीम के अंतर्गत स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत 50 लाख रुपये है, जिसमें केवल संयंत्र और मशीनरी की लागत पर 25% सब्सिडी शामिल है। तथापि, इस स्कीम के अंतर्गत 50 लाख रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाएं भी स्वीकार्य हैं, लेकिन सब्सिडी अधिकतम 12.5 लाख रुपये प्रति इकाई तक सीमित है। स्कीम के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- प्लास्टिक, रबड़ और इलेक्ट्रॉनिक्स अपशिष्ट प्रबंधन आदि जैसे अधिसूचित विनियमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए चक्रीय अर्थव्यवस्था (सीई) को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में सीई को अपनाने के लिए एमएसई को प्रोत्साहित करना।
- एमएसई इकाइयों को उद्योगों के लिए निर्धारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) और अपशिष्ट पुनर्चक्रण लक्ष्यों का अनुपालन करने में सक्षम बनाना।

(ग): एमएसई-स्पाइस स्कीम का कुल बजट परिव्यय ₹ 472.50 करोड़ है, जिससे 3400 से अधिक एमएसई को चक्रीय अर्थव्यवस्था (सीई) समाधान अपनाने में सक्षम बनाया जाएगा।

(घ): इस स्कीम के अंतर्गत कुल 6 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को सहायता प्रदान की गई है और कुल व्यय ₹ 124.54 लाख हुआ है।

(ङ): यह स्कीम, चक्रीय अर्थव्यवस्था की कार्यनीतियों को अपनाकर संसाधनों के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करती है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, प्लास्टिक, रबड़ और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कमी लाना, पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्रण करना शामिल है।

*****